कार्यालय
निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
भोपाल पानी पो0 बडासी,देहरादून।

संख्या 1735 मुख्य खनिज– /खनन योजना— 113/ भू0खनि0ई0/2018–19 दिनांक 27 अक्टूबर ~~सितम्बर~~ 2018

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0 1855/VII-1/2016/158–ख/11 दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 के द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी पुत्र श्री प्राण दत तिवारी निवासी ग्राम सिमखेत पो0 धिघांरतोला, जिला बागेश्वर के पक्ष ग्राम सिमखेत, तहसील व जनपद बागेश्वर के क्षेत्रान्तर्गत 4.486है0 भूमि में उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति 2015 (यथा संसोधित 2017) के प्राविधानानुसार 25 वर्ष की अवधि हेतु खनिज सोपस्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) निर्गत किया गया है, से सम्बन्धित प्रस्तुत खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना जो श्री भुवन जोशी आर0क्यू0पी मु0ख0/RQP/DDN/01/16 द्वारा तैयार की गयी है, को वैज्ञानिक, तकनीकी एवं पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से खनन संक्रियाओं के सुनियोजित संचालन हेतु उपयुक्त पाये जाने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 844/VII-1 /2015/68–ख/2015 दिनांक 31 जुलाई, 2015 (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्रस्तर – 3 (दो) (1) एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 के नियम 34 के अर्न्तगत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए एवं निदेशालय द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 1762/खनन/गौण खनिज–माईनिंग प्लान/26/भू0खनि0ई0/2015–16 दिनांक 31 अक्टूवर 2015 द्वारा माईन प्लान, माईन क्लोजर प्लान, स्कीम आफ माईनिंग हेतु जारी गाईड लाईन के दृष्टिगत मैक्नाइज्ड माईनिंग से विना ड्रिलिग एवं ब्लास्टिंग के **प्रथम वर्ष में 8901 टन , द्वितीय वर्ष में 11712 टन, तृतीय वर्ष में 14468 टन, चतुर्थ वर्ष में 15325 टन पंचम वर्ष में 16183 टन** के उत्पादन हेतु प्रस्तुत खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तो के अधीन किया जाता है:

शर्ते/प्रतिबन्धः–

1. उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 844/VII-1/2015/68–ख/2015 दिनांक 31 जुलाई, 2015 (समय–समय पर यथा संशोधित) द्वारा प्रख्यापित गौण खनिज नीति–2015 के समस्त शर्तो का अनुपालन पट्टाधारक द्वारा अक्षरशः किया जायेगा।
2. पट्टाधारक द्वारा ज्ञाप सं0 1855/VII-1/2016/158–ख/11 दिनांक 27 दिसम्बर 2016 आशय पत्र की समस्त शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।
3. आवेदक द्वारा सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जायेगी एवं तद्नुसार पर्यावरणीय अनुमति की समस्त शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।
4. पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा स्वीकृति से पूर्व मशीनकृत माईनिगं हेतु 2.0 लाख की बैंक गारन्टी निदेशक के पक्ष में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. आवेदक द्वारा खनन कार्य हेतु एक्सकैवेटर के प्रयोग की अनुमति श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, खान सुरक्षा महानिदेशालय, गाजियाबाद क्षेत्र गाजियाबाद से प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।
6. यह खनन योजना अन्य किसी अधिनियम जो कि खान या क्षेत्र पर लागू होते है या समय–समय पर राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या अन्य किसी सक्षम द्वारा प्रख्यापित किये जाते है, को छोडकर अनुमोदित की जाती है।
7. खान अधिनियम 1952 के अधीन प्राप्त की जाने वाली स्वीकृतियॉ सक्षम स्त्तर से प्राप्त की जानी होगी।
8. यह खनन योजना वन (संरक्षण) अधिनियम–1980, वन संरक्षण नियमावली 1981 और अन्य सम्बन्धित अधिनियम और नियमावली, आदेश और दिशा निर्देश जो कि इस खनन पट्टे पर समय–समय पर दिये जाये लागू होगे।
9. खनन योजना में खनन कार्यो के उपरान्त बने हुये गढ्ढो का भरान किया जायेगा तथा सुरक्षा दीवार भूअभियांत्रिकीय तकनीकी द्वारा बनायी जायेगी।

10. अनुमोदित खनन योजना किसी भी प्रभावी माननीय न्यायालय, मा0 ट्रिब्यूनल एवं किसी प्रकार के अन्य न्यायालय आदि के आदेश एवं दिशा निर्देश के लागू होने को बाधित नहीं करती है।

11. इस खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन किसी भी न्यायालय के सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी आदेश या निर्देश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया गया है।

12. प्रत्येक वर्ष खनन क्षेत्र के स्थायित्व हेतु भूवैज्ञानीय आंकलन किया जाना होगा एवं सम्बन्धित जिला भूवैज्ञानिक अधिकारी व निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म को आंकलन आख्या प्रस्तुत की जानी होगी।

13. खान अधिनियम 1952 के अर्न्तगत खान को चालू करने की सूचना, भूवैज्ञानिक , खान प्रबधक एवं अन्य वैधानिक नियुक्तियों को अधिसूचित करने सहित उक्त अधिनिदिम के सभी नियमों एवं उपनियमों की पालना की जाएगी।

14. खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का निष्पादन/कियान्वयन निषेधाज्ञाओं/अधिसूचनाओं, आदि कोई हो तो के रिक्त होने के अधीन होगा।

15. खान अधिनियम के अर्न्तगत अपेक्षित कोई सूचना/विषय वस्तु का संगुप्त रखना/छिपाना यदि पाया जाता है और उसके सुधार हेतु कोई प्रस्ताव भी नही दिया जाता है, तो खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन तुरन्त प्रभाव से वापस लेना माना जायेगा।

16. किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि दस्तावेज में दी गई, उपलब्ध कराई गई सूचनाए असत्य अथवा गलत ढंग से दर्शायी गई है, तो दस्तावेज का अनुमोदन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।

17. आवेदक जिस खेत में कार्य करेगा उस खेत की सूचना सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/खान अधिकारी, एवं सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी के कार्यालय को जिस खेत में खनन हो रहा है के भूस्वामी से किये गये अनुबन्ध की छाया प्रति खनन कार्य प्रारम्भ करने के 15 दिन पूर्व प्रस्तुत करेगा।

18. आवेदक के द्वारा खनन पट्टे का जी0एस0टी नं0 प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

19. भू-सदर्भित खनन पट्टा प्लान्स सम्मिश्रण उपरान्त भू-संदर्भित वैक्टोराइज्ड खसरा प्लान से पूरी तरह मेल होना चाहिए और तत्सबंधी दस्तावेज तीन माह में प्रस्तुत किया जायेगा।

20. अनुमोदित खनन योजना की एक-एक प्रमाणित प्रति सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय, सहायक भूवैज्ञानिक/खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं आवेदक को अभिलेखार्थ यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का दायित्व सम्बन्धित आर0क्यू0पी0/पट्टाधारक का होगा।

संलग्नक: खनन योजना की अनुमोदित प्रति।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
निदेशक।

पृष्ठांक मुख्य खनिज- /खनन योजना— 113/ मु0खनि0ई0/2018-19 तददिनांकित

1. जिलाधिकारी, बागेश्वर
2. उपजिलाधिकारी, बागेश्वर।
3. सहायक भूवैज्ञानिक, खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, बागेश्वर।
4. श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी पुत्र श्री प्राण दत्त तिवारी निवासी ग्राम सिमखेत पो0 धिघारंतोला, जिला बागेश्वर द्वारा श्री भुवन जोशी आर0क्यू0पी0 एवं भूवैज्ञानिक देहरादून

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
निदेशक।